मूल हिंदी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 160

04 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत और अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में किये गये कार्य

160 # श्री बंशीलाल गुर्जरः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अमृत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के 32 शहरों में शुद्ध पेयजल, सीवरेज, शहरी परिवहन और इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं से संबंधित कार्य शुरू किया है;

(ख) अमृत 2.0 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों में कार्य प्रगति पर है; और

(ग) अमृत योजना के अंतर्गत राज्य को किन-किन क्षेत्रों में प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

"अमृत एवं अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में किए गए कार्य" के संबंध में दिनांक 04 अगस्त, 2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *160# के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसे मध्य प्रदेश के 34 शहरों सहित देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किये गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में 25 जून 2015 से शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य चयनित शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन आदि क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है।

अमृत के अंतर्गत, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए मध्य प्रदेश राज्य में परियोजनाओं के लिए 2,592.86 करोड़ रु. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित 6,200.67 करोड़ रु. की राज्य वार्षिक कार्य योजनाएँ (एसएएपी) अनुमोदित की गई हैं। अमृत पोर्टल पर राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य द्वारा 6,765.91 करोड़ रु. की 216 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। परियोजनाएँ प्रमुख क्षेत्रों में शुरू की गई हैं जिनमें 2,280.8 करोड़ रुपये की 32 जलापूर्ति परियोजनाएँ, 3,880.56 करोड़ रुपये की 29 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ, 248.32 करोड़ रुपये की 23 जल निकासी परियोजनाएँ आदि शामिल हैं।

(ख): अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर, 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू की गई है। अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस मिशन के दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के तहत परियोजनाओं का चयन, प्राथमिकता, डिज़ाइन, कार्यान्वयन और निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। अब तक, अमृत 2.0 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 418 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में 12,963.14 करोड़ रुपये (संचालन एवं रखरखाव लागत सहित) की कुल 1,273 परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिनमें 6,889.58 करोड़ की 417 जल आपूर्ति परियोजनाएँ, 5,432.04 करोड़ रु. की 36 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ, 511.75 करोड़ रु. की 430 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएँ और 129.77 करोड़ रु. की 390 हरित क्षेत्र एवं पार्क परियोजनाएँ शामिल हैं। राज्य द्वारा अमृत 2.0 पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, 411 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में 6,597.20 करोड़ रु. की ऐसी 999 परियोजनाएँ हैं जिनके ठेके दिए जा चुके हैं/कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

(ग): राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अमृत मिशन के अंतर्गत और राज्य की अन्य योजनाओं के साथ मिलाकर, मध्य प्रदेश राज्य में 14.41 लाख नल कनेक्शन (नए/सर्विस्ड) और 4.02 लाख सीवर कनेक्शन (नए/सर्विस्ड) (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) के अंतर्गत कवर किए गए आवासों सहित) प्रदान किए गए हैं। 613.85 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवरेज शोधन क्षमता (एसटीपी) और 334.5 एमएलडी जल शोधन क्षमता

(डब्ल्यूटीपी) विकसित की गई है; 188.12 किलोमीटर लंबी नालियाँ बनाई गई हैं; 422.06 एकड़ हरित क्षेत्र विकसित किया गया है।
